कार्यालय बाँदा विकास प्राधिकरण , बाँदा

पत्रांक :– 01 / बां0वि0प्रा0 / 2026–27 / दिनांक 1/4/ 2026

सार्वजनिक–सूचना

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरणों एवं विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों में सम्पत्ति के डिफाल्टर्स आवंटियों एवं मानचित्र स्वीकृति के सापेक्ष बकाये की वसूली हेतु एक अवसर प्रदान करने के लिए एकमुस्त समधान योजना (ओ0टी0एस0) 2026 शासन द्वारा लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है।

बांदा विकास प्राधिकरण की योजनाओं के समस्त ऐसे आवंटी जिनके द्वारा अभी तक नियत समय के अन्तर्गत पूर्ण धनराशि जमा नहीं की गयी है एवं ऐसे समस्त डिफाल्टर्स आवंटियों एवं मानचित्र स्वीकृति के सापेक्ष बकाये की वसूली हेतु एक अवसर प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है। ओ0टी0एस0 के अन्तर्गत समस्त ऐसे आवंटियों को सूचित किया जाता है कि प्राधिकरण में दिनांक 18.04.2026 से एकमुश्त समाधान योजना (ओ0टी0एस0) प्रारम्भ होगी जिसमें आवंटियों को दण्ड ब्याज से छूट प्रदान करते हुये साधारण ब्याज पर योजना का लाभ दिया जायेगा। उक्त ओ0टी0एस0 हेतु आवेदन पत्र देने के लिए शासन द्वारा तीन माह की अवधि प्रदान की गयी है। उक्त अवधि के उपरान्त कोई आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। उपरोक्त के लिए प्राधिकरण में हेल्प डिस्क की व्यवस्था की गयी है जिसमें समस्त जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

अतः ऐसे समस्त आवंटी जिनके द्वारा अभी तक नियत समय के अन्तर्गत पूर्ण धनराशि जमा नहीं की गयी है एवं ऐसे समस्त डिफाल्टर्स आवंटियों एवं मानचित्र स्वीकृति के सापेक्ष धनराशि जमा नहीं की गयी है, से अनुरोध है कि प्राधिकरण कार्यालय में श्री हमीदउद्दीन लिपिक मो0 नं0–6392963112, अवर अभियन्ता श्री प्रताप सिंह राना मो0 नं0–8115922260 एवं श्री अभिषेक वर्मा मो0 नं0–9560531713 से सम्पर्क कर उक्त के सम्बबन्ध में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर आवेदन करते हुये ओ0टी0एस0 का लाभ प्राप्त कर सकते है।

1.4.26

सचिव
बांदा विकास प्राधिकरण
बांदा

पत्रांक / तद्दिनांक

प्रतिलिपि– जिला सूचना अधिकारी को इस अनुरोध के साथ कि समस्त राष्ट्रीय व स्थानीय स्तर के समाचार पत्रों में निःशुल्क उक्त सूचना को प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

सचिव
बांदा विकास प्राधिकरण
बांदा